

प्रेस विज्ञप्ति
(निर्वाचन व्यय)
व्यय संवेदनशील पॉकेट

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक व्यय प्रेक्षक के परामर्श से निर्वाचन क्षेत्र में व्यय संवेदनशील पॉकेटों की पहचान करते हैं, व्यय संवेदनशील पॉकेटों की पहचान का आधार उस क्षेत्र की साक्षरता या आर्थिक विकाश या पिछले निर्वाचन में शिकायतों की संख्या होता है। इन क्षेत्रों में मतदान के अंतिम तीन दिनों के दौरान एसएसटी द्वारा 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी, इस अवधि के दौरान एसएसटी में केन्द्रीय पुलिस बल भी सम्मिलित होगा। प्रदेश में अभी तक कुल 28 व्यय संवेदनशील क्षेत्र तथा 189 व्यय संवेदनशील पॉकेट चिह्नित किए गए हैं।